रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229213
CG-DL-E-25082021-229213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

**सं. 46 /2021-सीमाशुल्क (एडीडी)**

**सा.का.नि. 588(अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टेलर्स के एक्सल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8716 90 10 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/7/2021-डीजीटीआर, दिनांक 19 अप्रैल, 2021, जिसे दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य शुरू किया गया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 जिसे सा.का.नि. 1101 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रतिपाटन शुल्क 28 जनवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा ।"

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/145/2021–टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**नोट:** प्रधान अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 नवम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 1101(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2021

**No. 46/2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 588(E).**—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/7/2021-DGTR, dated the 19th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th April, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Axle for Trailers' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 8716 90 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54/2016- Customs (ADD), dated the 29th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1101(E), dated the 29th November, 2016 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.54/2016- Customs (ADD),dated the 29th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1101 (E), dated the 29th November, 2016, namely:—

In the said notification, after paragraph 2, and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty shall remain in force up to and inclusive of the 28th January, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. CBIC-190354/145/2021-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 54/2016- Customs (ADD), dated 29th November, 2016, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1101(E), dated the 29th November, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.25 22:27:38 +05'30'